न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 154/2011

सुखपाल कौर बनाम गुरनाम सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता,

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी 4 ता 9
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 23.12.2025

वकील प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी., पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण की ओर से उक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विवादित कृषि भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि होना ब्यान कर एवं पैत्रिक कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत होना कथन कर प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि में न तो वादीगण का कोई हक व हिस्सा था और ना ही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन का गलत क्यास लगाया जाकर वेग तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है मौजूदा वाद जाहिरा तौर से विधि द्वारा बाधित है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से हिट होता है। वाद के माध्यम से पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा एवं पूर्व न्यायालय निर्णय बंटवारा आदेश तहसीलदार वर्ष 1999 एवं अपील निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (प्र.), श्रीगंगानगर वर्ष 2011 को चुनौती दी गयी है। वाद जाहिरा तौर से दीवानी विधि से बाधित है इसलिये भी निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नहीं है इसलिये भी वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं है। रिफाये उज जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कानूनी है जिन पर वाद का निर्णय होता है एवं कानूनन उक्त तथ्यों का सर्वप्रथम निर्णय किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवानी वाद विधि द्वारा बाधित होने एवं वाद हेतूक नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त अनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी निश्चित है । प्रकरण में दिनांक 19–1–2012 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था। जिसे श्रीमान जी द्वारा दिनांक 25–7–2012 को स्वीकार कर दावा खारिज किया। जिसकी अपील दिनांक 9–8–2012 को स्वीकार कर निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था। जिसे न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं. आ. 7 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण किया जावे तो आपकी अति कृपा होगी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2023(1) RRT 415, [Citation: 2023 (2) DNJ (Rev.) 1351] प्रस्तुत किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा एवं पूर्व न्यायालय निर्णय बंटवारा आदेश तहसीलदार वर्ष 1999 एवं अपील निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (प्र.), श्रीगंगानगर वर्ष 2011 को चुनौती दी गयी है। पत्रावली पर प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.12.2003 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरभय सिंह द्वारा अपनी भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा प्रतिवादी संख्या 8 हरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 9 सरवन सिंह को किया गया है एवं पंजकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 29.05.2004 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के द्वारा द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा के प्रतिवादी संख्या 7 को अपने हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया है। वादग्रस्त अराजी का अन्तरण जरिए पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से हुआ है। जब तक पंजीकृत बैयनामा के सम्बन्ध में सत्यता एवं वैद्यता के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता है तब तक वादीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। पंजीकृत बैयनामा की वैद्यता एवं सत्यता के बाबत निर्णय की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है न की राजस्व न्यायालय को है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2023(1) RRT 415, [Citation: 2023 (2) DNJ (Rev.) 1351] इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानो के तहत खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गोयल) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)